

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक-30.10.2015 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर रहने के फलस्वरूप सामान्य से कम वर्षा के आलोक में सम्पन्न आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :-

1. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
2. प्रधान सचिव, कृषि विभाग
3. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
4. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
5. सचिव, ऊर्जा विभाग
6. सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
7. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
8. अपर सचिव, जल संसाधन विभाग
9. अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग
10. कार्यपालक अभियंता (मो0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
11. अधीक्षण अभियंता (मो0), जल संसाधन विभाग

दक्षिण-पश्चिम मानसून 2015 से राज्य में अल्प वर्षापात/सुखाड़ की संभावना को देखते हुए आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो निम्नवत है :-

1. भारत मौसम विज्ञान विभाग

भारत मौसम विज्ञान विभाग, पटना के प्रतिवेदन के अनुसार इस सप्ताह भी राज्य में वर्षापात होने की संभावना नहीं है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। वर्तमान में राज्य में औसत वर्षापात सामान्य से 31 प्रतिशत कम है।

2. कृषि विभाग

प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि अबतक धान की बिचड़े का आच्छादन लक्ष्य के विरुद्ध 95.33 प्रतिशत, धान का आच्छादन 97.91 प्रतिशत एवं मक्का का आच्छादन 89.70 प्रतिशत हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि मानसून की कमजोर स्थिति के मद्देनजर धान के उत्पादन के साथ-साथ बड़े क्षेत्रफल में मक्का के उत्पादन पर भी बल दिया गया है। खरीफ 2015 में सामान्य से कम वर्षापात के पूर्वानुमान के आलोक में राज्य में 350000 हेक्टेयर

क्षेत्र में आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के आच्छादन का कार्यक्रम चल रहा है। डीजल सब्सिडी के रूप में 31.32 करोड़ का वितरण किया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि जिन-जिन जिलों में वर्षापात कम हुई है उन जिलों में डीजल सब्सिडी वितरण की कार्रवाई में तेजी लायी जाए। डीजल सब्सिडी वितरण हेतु 30 नवम्बर 2015 तक का समय निर्धारित किया जाए।

3. लघु जल संसाधन विभाग

सचिव, लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि कुल 10242 नलकूपों के विरुद्ध इस सप्ताह चालू नलकूपों की सं० 3107 है तथा यांत्रिक एवं विद्युत दोष के कारण 1758 नलकूप बंद हैं एवं यांत्रिक दोष से बंद पड़े नलकूपों की सं० 1088 तथा संयुक्त दोष से बंद पड़े नलकूपों की सं० 4038 है। इस सप्ताह कुल 28387.39 हेक्० में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि नलकूपों की मरम्मत एवं Channels की मरम्मत अविलम्ब पूरी की जाय और साथ ही शीघ्र नलकूपों को चलाने हेतु कर्मियों की व्यवस्था की जाए एवं नलकूपों से सिंचित होने वाले क्षेत्रफल का प्रतिवेदन की मांग की गयी।

4. ऊर्जा विभाग

सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, जो औसत 10 से 12 घंटे है। पूर्व में 174 जले ट्रांसफॉर्मर के विरुद्ध 143 ट्रांसफॉर्मर बदले जा चुके हैं तथा नाबार्ड फेज-XI के 2697 स्कीम के विरुद्ध 2443 को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। इसी प्रकार नाबार्ड फेज-VIII के अंतर्गत 1551 स्कीम के विरुद्ध 1243 को ऊर्जान्वित कर दिया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि अल्पवर्षापात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति जारी रखी जाए तथा ट्रांसफॉर्मर की खराबी से बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र ऊर्जान्वित करने की कार्रवाई की जाए।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

कार्यपालक अभियंता (मो०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा बताया गया कि कुल 94699 चापाकल गाड़ने के लक्ष्य के विरुद्ध 27763 चापाकल गाड़ा जा चुका है तथा कुल 94695 चापाकल मरम्मत लक्ष्य के विरुद्ध 74608 चापाकल की मरम्मत की जा चुकी है। विभाग द्वारा हर जिला के प्रत्येक प्रखण्ड के 5 चापाकलों के भू-जलस्तर की मोनेटरिंग की जा रही है। राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में माह अक्टुबर 2013 की तुलना में किसी भी जिला में औसतन भू-जल स्तर में गिरावट की सूचना नहीं है। राज्य के उत्तरी भाग के 21 जिलों में अक्टुबर 2014 की तुलना में किसी भी जिले में भू-जलस्तर में गिरावट की सूचना नहीं है। वर्तमान में कहीं भी पेयजल की समस्या की सूचना नहीं है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि विद्युतदोष के कारण खराब नलकूपों की सूची ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया जाए। यह भी ध्यान दिया जाय कि गुणवत्तापूर्ण पेयजल

की आपूर्ति किया जाय और जहां बोरिंग पुराना हो गया है उसे मरम्मत करने की अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

6. जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कोशी नदी में कुल 50015 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है। पूर्वी कोशी एवं पश्चिम कोशी नहर प्रणालियों में क्रमशः 10000 तथा 2500 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। गंडक नदी में वर्तमान में कुल 39500 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है, जिसमें से तिरहुत नहर प्रणाली में 4000 घनसेक, दोन नहर प्रणाली में 2000 घनसेक एवं त्रिवेणी नहर प्रणाली में 1000 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 10500 घनसेक जलापूर्ति की जा रही है जिसमें से सारण मुख्य नहर प्रणाली में 3100 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज में 9390 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्व नहर प्रणाली में 3140 घनसेक तथा पश्चिमी नहर प्रणाली में 6250 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है।

प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति निम्नवत है:-

क्र0	जलाशय का नाम	कुल संचयन क्षमता	दिनांक-15.10.2015 की स्थिति (फीट में)	दिनांक-30.10.2015 की स्थिति (फीट में)
1	चन्दन	110000	448.00	448.00
2	बदुआ	89000	392.90	392.90
3	ओढ़नी	33550	399.10	399.10
4	ऑजन	20030	366.50	366.50
5	बेलहरना	11805	425.00	425.00
6	खड़गपुर झील	13200	204.30	204.30
7	विलासी	23400	283.40	283.40
8	मोरवे	10800	248.30	248.30
9	नागी	7700	425.80	425.80
10	गरही जलाशय	68500	529.90	529.90
11	कोहिरा	22210	Below DSL	Below DSL
12	बटाने	48600	730.56	730.56
13	फुलवरिया	41563	569.90	569.90
14	नकटी जलाशय	11320	439.80	439.80

जलाशयों से इस सप्ताह 173879 एकड़ फीट सिंचाई की व्यवस्था की गई है।

खरीफ सिंचाई 2015 के दौरान नहरों से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति

क्र0	नहर प्रणाली का नाम	सिंचाई लक्ष्य (हे0 में)	सिंचाई उपलब्धि (हे0 में) दिनांक-15.10.15 तक	सिंचाई उपलब्धि (हे0 में) दिनांक-30.10.15 तक
(क)	सोन नहर प्रणाली :-			
1.	पूर्वी सोन नहर प्रणाली	148450	146184	146184
2.	पश्चिमी सोन नहर प्रणाली	399922	371288	371288
(ख)	कोशी नहर प्रणाली :-			
1.	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	377565	323811	323811
2.	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	41384	32918	32918
(ग)	गंडक नहर प्रणाली :-			
1.	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	331684	307926	307926
2.	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	165846	151320	151320
(घ)	अन्य योजनाएं :-			
		453490	382820	382820
	कुल	1918341	1712738	1716267

जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि सोन नदी में पानी कम है, परन्तु वर्तमान में सिंचाई हो रही है। रिहन्द एवं बाण सागर में पानी कम उपलब्ध रहने के कारण सोन में पानी कम मिल रहा है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि रिहन्द एवं बाण सागर में पूर्व के वर्षों में जल की उपलब्धता एवं आपूर्ति की समीक्षा कर लें तथा वस्तुस्थिति से अवगत कराये ताकि पुनः संबंधित राज्य के मुख्य सचिव से वार्ता की जा सके। मुख्य सचिव द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि नहरों की सभी वितरणी को ठीक करा लें तथा नहरों से अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

7. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि पशु शिविरों के स्थापना हेतु 1640 स्थलों का चयन कर लिया गया है एवं पशुचारे की कोई कमी नहीं है। 10 प्रकार पशु दवाओं का क्रय किया जा चुका है एवं टीकाकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि पशु शिविरों हेतु चयनित स्थलों के पास पशुओं के पेयजल हेतु जल के स्रोत उपलब्ध है अथवा नहीं इसकी जाँच करा ली जाए।

8. ग्रामीण विकास विभाग

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि मनरेगा अंतर्गत 1.25 करोड़ मैनडेज सृजित हो गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में वर्षापात कम है उन क्षेत्रों की स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाए तथा मैनडेज बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव द्वारा यह भी निदेशित किया गया कि जिन-जिन जिलों में चुनाव खत्म हो गया है, उन-उन जिलों में मनरेगा के अंतर्गत शीघ्र कार्रवाई हो तथा उनके द्वारा माहवार तथा जिलावार मनरेगा अंतर्गत व्यय तथा मैनडेज का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

9. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मुख्य सचिव द्वारा शताब्दी अन्न कलश योजना अंतर्गत प्रत्येक पंचायतों/ वार्डों में खाद्यान्न की स्थिति/उपलब्धता के संबंध में ज्ञात करने का निदेश दिया गया।

10. स्वास्थ्य विभाग

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में मानव दवा के भंडारण की कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार कर ली जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी। आवश्यकता पड़ने पर अगली बैठक आहूत करने का निर्णय लिया गया।

ह0/-

(अंजनी कुमार सिंह)

मुख्य सचिव

बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-07/2014...../आ0प्र0

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ कृषि विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ उर्जा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग/ निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/ निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


(अनिरुद्ध कुमार)

विशेष सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-07/2014-4090/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 4/11/15

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव